भारतीय लोक प्रशासन के स्वरूप में जिला प्रशासन की बदलती भूमिका

*डॉ. हंसकुमार शर्मा

शोध सारांश

जिला व जनपद को अंग्रेजी में भाषा में (डिस्ट्रिक्ट) कहा जाता हैं, जिला शब्द का तात्पर्य भारत में पाई जाने वाली एक प्रशासनिक इकाई से है। इसे अब हिन्दी व अंग्रेजी के दोनों भाषाओं में शामिल कर लिया गया है। आक्सफोर्ड डिक्शनरी के अनुसार जिल्लाह का अर्थ भारत की प्रशासनिक इकाई से है, जिससे कई परगना शामिल होते है, परगना मुगलकालीन जिले के नीचे की प्रशासनिक इकाई है।, जिला शब्द हिन्दूस्तानी–उर्दू के शब्द 'दिलाह' से आया है, जिसका शाब्दिक अर्थ भाग या डिवीजन होता है, यह शब्द की मूलतः अरबी भाषा के दिल शब्द से आया है, जिसका शाब्दिक अर्थ अंश या भाग होता है, इस प्रकार जिला एक प्रशासनिक भाग या इकाई है।

भारत में जिला तथा जिला प्रशासन का अस्तित्व प्राचिन काल से रहा है, जिसमें कल्याण राज्य की परम्परा अतीत महत्वपूर्ण रही है जिसमें प्रशासन का अध्यक्ष माने जाने वाले राजा के नाम की व्युत्पत्ति तथा इसके सम्बन्ध में महाभारत, संस्कृतियों, धर्म सुत्रों तथा अर्थशास्त्र में की गई व्यवस्थाओं से सूचित होती है। महाभारत (शान्ति पर्व 56/133) तथा कालिदास (रघुवंश 4/11) ने राजा शब्द की व्युत्पत्ति रंजन अर्थात प्रसन्न करने का अर्थ देने वाली धातु से की हैं और राजा का प्रधान कार्य प्रजा का सर्वविध कल्याण करते हुए उसे सुखी, सन्तुष्ठ तथा प्रसन्न बनाऐ रखना माना है। (राजा प्रकृति रंजनात), महाभारत के अनुसार सृष्टि के आदिकालीन राजा वैन्य ने, प्रजाजनों की सब प्रकार की विपतितयों से रक्षा करने की प्रतिज्ञा की थी। कौटिल्य के मतानुसार प्रजा के सुख और हित में ही राजा का सुख और हित है। उसे पिता की तरह प्रजा का पालन करना चाहिऐ। बालक, बुढे, रोगी, विपत्तिग्रस्त और अनाथ व्यक्तियों के भरण पोषण की व्यवस्था करनी चाहिए "(कोटिल्य 2/1 पितेवातु मृदीमाता .... बालवृद्ध व्यधित व्यसन्यनाथोश्चय राजा विभुयात स्त्रियमप्रजातां प्रजातायाश्च्व पुत्रान) जब जनता राजकीय अधिकारियों से उत्पीडन के अतिरिक्त किसी बात की आशा नहीं रखती थी, बाद में वे इस बात पर बल देने लगे की राज्य उनके काम में कम से हस्तक्षेप करें। अब वे राज्य से अनेक प्रकार की सेवाओं तथा सुरक्षा की आशा करते है।'' पहले राज्य का काम कानून का पालन कराना, आन्तरिक शान्ति तथा व्यवस्थऐं बनाये रखना और बाह्य आक्रमणों से रक्षा का था, किन्तु अब उसका प्रधान कार्य देश के सर्वागीण विकास की सुविधाऐं प्रस्तुत करता है, इससे राज्य पर बहुत बडा दायित्व आ गया, इसे पूरा करने के लिए उसे विभिन्न प्रकार के कार्य करने होते है। जिससे प्रथम व मुख्य रक्षा व शान्ति रही' थी लेकिन प्रशासन के महत्व के बढने के मुख्य बिन्दु निम्न रहे है। राज्य के कार्य क्षेत्र में तिलक्षण विस्वा है जिससे 19वीं शताब्दी के अन्त तक राजा के दो प्रधानकार्यो से रहा है उस समय एडम स्मिथ (1723–90) तथा हर्बर्ट स्पेन्सर (1820–1909) जैसे विचारक राज्य द्वारा न्यूनतम कार्य करने के प्रबल समर्थक थे किन्तु इंग्लैण्ड में औधोगिक क्रान्ति आरम्भ होने पर कारखानों के मालिकों द्वारा स्त्रियों ओर बच्चों के श्रम का जो भीषण–शोषण किया गया उससे इनकी रक्षा के लिए राज्य द्वारा कारखाना कानून बनाये तथा इन्हें क्रियान्वित करने के लिए की

जाने वाली व्यवस्थाओं से राज्य के कार्यक्षेत्र का शनै–शनै विस्तार होने लगा एवं प्रशासन का सम्बन्ध लोक मामलों के प्रभावी प्रबन्धन से है, जिसमें मानवीय क्षमता व प्रशासनिक कार्यो की प्रकृति को देखते हुए यह स्पष्ट है कि क्षेत्रीय प्रशासन की इकाई का न तो विस्तृत (बडी) रहेगी कि लोक मामलों का प्रबन्धन कठिन हो जाए एवं जनता की प्रशासन से दूरी बढ जाये और न इतनी छोटी की आर्थिक व नीतियों के क्रियान्वयन में अपोषणीय हो जाऐ। इस दृष्टि से जिला या उसके समकक्ष क्षेत्र ही क्षेत्रीय प्रशासन की उचित इकाई सिद्ध होती है। इसलिऐ प्राचीन काल से अब तक विभिन्न रूप में जिला प्रशासन का अस्तित्व बना हुआ है।

ब्लैक ग्रह्प ब्रिटिश काल में जिला प्रशासन व जिलाधिकारी– ब्रिटिशकाल में कम्पनी को 1765 में मुगल शासन से दीवानी अधिकार अथवा राजस्व सग्रह का अधिकार प्राप्त करना, कम्पनी ने जिले की प्रशासनिक इकाई को नहीं बदला, लेकिन राजस्व समुह के लिए अपने अधिकार नियुक्त किये।

वारेन हेस्टिंग्स के कार्यकाल में पहली बार **भारत में 1772 में जिला कलेक्टर के पद** का सृजन किया गया यधपि इस पद को 1773 में समाप्त कर दिया गया जिसे पुनः 1781 में पुर्नजीवित किया गया तबसे लेकर अब तक यह पद बदलती हुई भूमिकाओं के साथ चला आ रहा है। इसे कलेक्टर इसलिऐ कहा जाता है क्योंकि इसका मुख्य कार्य राजस्व का कलेक्ट्रशन अथवा संग्रह करना होता था। उक्त समय में ही न्यायिक शक्तिया भी प्रदान की गई थी जिसके कारण उसे जिला मजिस्ट्रेट अथवा जिलाधिकारी भी कहा जाता था। जिलाधिकारी को न्यायिक शक्तिया प्रदान करने के पीछे मुगलकालीन समय में जिलाा स्तर पर मालगुजारी नाम का राजस्व से संग्रह करने वाला अधिकारी कतिपय मामलों में न्यायिक शक्तियॉ प्राप्त थी।

उक्त संदर्भ में 1893 में लार्ड कार्नवालिस ने इस व्यवस्था में सकेन्द्रण कार्यपालिका एवं न्यायपालिका को उचित नहीं माना संशोधित करते हुए संहिता द्वारा जिलाधिकारी को न्यायिक शक्तियों से वंचित कर दिया गया इसके पिछे मुख्य तर्क यह था कि यह मानव प्रकृति में ही निहीत है कि कोई व्यक्ति अपने द्वारा जो कार्य करेगा उसका निर्णय वह स्वयं नहीं कर सकता।

कम्पनी शासनकाल में जिलाधिकारी की शक्तियों का सम्बन्ध में सभी प्रकार के राजस्व का संग्रह जिला स्तर पर राजकीय कोष का प्रभारी था मजिस्ट्रेट के रूप में वह कानून व्यवस्था के लिए उत्तरदायी था तथा जिला में जेल व्यवस्था व पुलिस प्रशासन का पर्यवेक्षण करने का भी अधिकार था।

वर्ष 1858 में भारत का शासन ब्रिटिश सरकार ने अपने नियन्त्रण में ले लिया 50 वर्षो तक जिलाअधिकारी के पद में कई अन्य शक्तियों का भी सक्रेन्द्रण किया गया वास्तव में कानून व्यवस्था राजस्व प्रशासन दोनों की दृष्टि से जिला प्रशासन की केन्द्रीय स्थिति जिलाधिकारी जिला प्रशासन के केन्द्र में ब्रिटिश काल में अत्यधिक शक्तियों के कारण छोटे नेपोलियन की संज्ञा दी जाती थी।

फिलिंफ उडरफ के शब्दों में, ''सम्भवतः जिले स्तर पर ऐसा कुछ नही था, जिसको जिलाधिकारी नहीं कर सकता था, अपने आधिकारिक दायित्वों के साथ–साथ वह जिले के विभिन्न क्षेत्रों का निरीक्षण, भ्रमण विवादों का निस्तारण, सभी समस्याओं का समाधान तथा इसके साथ ही विकास कार्यो के लिए भी समय मिल जाता था।''

1861 में पुलिस अधिनियम पारित किया गया, जिसके द्वारा प्रत्येक राज्य में पुलिस महानिरीक्षक की नियुक्ति यदपि जिला पुलिस अधीक्षक पुलिस के आन्तरिक मामलों में पुलिस महानिरीक्षक के अधीन होता था, जिसमें कानून व्यवस्था के मामले में जिला स्तर पर जिला पुलिस अधीक्षक जिलाधिकारी के निर्देशन में कार्य करता था। इन दोनों अधिकारियों के सम्बन्धों की जटिल व्यवस्था की शुरूआत 1861 में हुई थी जो वर्तमान में भी जारी है, इसमें जिले

की कानून व्यवस्था के लिए जिलाधिकारी ही उत्तरदायी, पुलिस व्यवस्था पर नियंत्रण, दायित्व का निर्वाहन, कानून व्यवस्था का कार्य पुलिस विकास को नही सौपा जा सकता था इसके कई सामाजिक, राजनीतिक, प्रशासनिक पहलू होते है, जिनका प्रबन्धन पुलिस विभाग द्वारा नहीं किया जा सकता था, इसलिये ब्रिटिशकाल से ही कानून व्यवस्था प्रशासन में जिलाधिकारी केन्द्रीय स्थिति बनी हुई है।

1907 में नियुक्त विकेन्द्रीकरण रॉयल कमीशन ने अपनी रिपोर्ट 1909 प्रस्तुत की जिससे विकेन्द्रीकरण आयोग ने जिलाधिकारी की शक्तियों का विकेन्द्रीकरण करने के स्थान पर केन्द्रीकरण ओर अत्यधिक सुदृढ संस्तुति प्रस्तुत की गई इस तथ्य से ब्रिटिश प्रशासन में जिलाधिकारी के पद का महत्व स्पष्ट होता है। 1919 के अधिनियम द्वारा प्रान्तों के 1921 में जो द्वंद्व शासन प्रणाली लागू द्वारा जिलाधिकारी की स्थिति प्रभावित हुई एवं वित्तीय विधान परिषद के प्रति उत्तरदायी मंत्रीयों के अधिकार में दिया गया। जिला स्तर पर अधिकारियों को जिन समस्याओं का सामना करना पडता था, उसके लिए वे जिला अधिकारी से मार्गदर्शन लेने के बजाय अपने विभाग के प्रशासनिक सचिव से मार्गदर्शन प्राप्त करने लगे। क्योंकि ऐसे विभागों का दायित्व भारतीय मंत्रियों के हाथ में था, फिर भी जिलाधिकारी की शक्तियों में कोई बहुत बडा फेरबदल नहीं हुआ, स्वतन्त्रता से पूर्व 1935 में भारत सरकार अधिनियम द्वारा प्रान्तों में प्रान्तिय स्वायत्ता के अन्तर्गत उत्तरदायी शासन की स्थापना की गई। इस व्यवस्था में प्रान्तीय स्वायत्ता एवं शासन को विधानसभा के प्रति उत्तरदायी मंत्रियों के नियंत्रण में दे दिया गया, 1937 में हुए प्रान्तीय चुनावों में सभी प्रान्तों में लोकप्रिय सरकारों का गठन हुआ। इन सरकारों द्वारा विकास की कई योजनाओु की शुरूआत की गई लेकिन इन योजनाओं के क्रियान्वयन का दायित्व भी जिलाधिकारीयों को दिया गया।

जिलाधिकारी की बदलती भूमिकाः—

जिस प्रकार देश के प्रशासन में जिला प्रशासन की केन्द्रीय स्थिति है उसी प्रकार जिला प्रशासन में जिलाधिकारी की केन्द्रीय स्थिति है। वर्तमान रूप में इस पद का सृजन ब्रिटिशकाल में हुआ था राजस्व एवं कानून व्यवस्था प्रशासन में बिट्रिशकाल में महत्वपूर्ण भूमिका रही थी स्वतन्त्रता के बाद भारत में जहाँ राजनीतिक परिवेश में परिवर्तन हुआ है वहीं राज्य के कार्यो व दायित्वों में भी शनै—शनै परिवर्तन हुआ है अतः स्वतन्त्रता के बाद जिलाधिकारी का पद तो वहीं है लेकिन उसकी भूमिका बदल रही है, निम्न परिवर्तन हुऐ है।

1. जिला प्रशासन में जिलाधिकारी अब भी कानून व्यवस्था के लिए उत्तरदायी है लेकिन जिला पुलिस अधीक्षक के साथ सम्बन्ध में बदलाव आया हैं। वर्तमान में कानून व्यवस्था में जिलाधिकारी जिला पुलिस प्रशासन में नियंत्रण की बजाय सहयोग व समन्वय का तत्व अधिक महत्वपूर्ण हो गया है।

2. स्वतन्त्रता प्राप्ति के 50 दशकों से जिलाधिकारी की विकास कार्यो में विस्तार हुआ है उनमें जटिलता विशेषज्ञता, अनुभव को महत्वपूर्ण स्थान होने से जिलाधिकारी को विकास कार्यो से विरत होने की प्रक्रिया चल रही है, वर्तमान में सरकारी व गैर सरकारी अभिकरणों की संख्या का विस्तार होने से निजी क्षेत्र व नागरिक समाज संस्थाओं की भूमिका को साकार द्वारा बढाने में समन्वयक के रूप में जिलाधिकारी का कार्य स्थानीय शासन की संस्थाओं का विकास, योजनाओं का क्रियान्वयन, हेतु अब जिलाधिकारी सहयोग का अपनी भूमिका में संशोधित करते हुऐ सामाजिक सेवा में समन्वय व जबावदेही का उत्तरदायित्व बहुत सीमित रह गया है।

3. संसदीय लोकतंत्र के अन्तर्गत राजनीतिक दलों की संख्या व गतिविधियों में वृद्धि तथा क्षेत्रीय राजनीति की बढती भूमिका का सीधा प्रभाव जिला प्रशासन पर दिखाई दे रहा है क्योंकि जिलास्तर पर मतदाताओं की

समस्या व समाधान, प्रशासनिक दायित्वों के साथ–साथ कई नई प्रकार की प्रशासनिक राजनीतिक भूमिका का भी निर्वाहन करना पडता है। जिसका उललेख उसके विधिक दायित्वों में कहीं नहीं है, लेकिन महत्वपूर्ण दायित्वों का समन्वय व मुख्य दृष्टिकोण का निर्वहन कर रहा है।

4. वैश्वीकरण, निजी करण तथा उदारीकरण की प्रवृति एवं सत्ता हस्तान्तरण से नयी–नयी प्रवृत्ति व संशोधन द्वारा आज भारत में सुशासन की प्रक्रिया को मजबूत बनाने का प्रयास किया जा रहा है जिसके अन्तर्गत सूचनाधिकारी, सिटीजन चार्टेर, ई–गवर्नेन्स आदि उपायों द्वारा प्रशासन में खुलापन, जबावदेही, पारदर्शिता की मॉग बढ रही है एवं जिलाधिकारी की भूमिका को परिभाषित किया जा रहा है, उसी अनुपात में जिलाधिकारी की भूमिका में बदलाव, दायित्वों में वृद्धि के साथ–साथ उसकी भूमिका अधिक चुनौतिपूर्ण, संवेदनशिल व गतिशील हो गई है।

वर्तमान में जिलाधिकारी की भूमिका व महत्वः–

1– राजस्व से ग्राहक के रूप में जिलाधिकारी भूमिका को वित्तिय प्रकृति के अन्य बहुत से कार्य किये जाते है। जिसमें कोषागार के सभी अधिकारी जिलाधिकारी के पर्यवेक्षण में कार्य करते है, भूमि अधिग्रहण, भू–अभिलेख तैयार, अधतन बनाना तथा उनका रख–रखाव, भूमि सुधार कार्यक्रम चकबन्दी तथा सिलिंग की व्यवस्था जिले की सभी भौतिक व प्राकृतिक सम्पत्तियों जैसे नजूल भूमि, वन, जलमार्ग, भवन आदि की देखरेख व रख–रखाव एवं उपखण्ड अधिकारी भू–राजस्व तहसीलदार द्वारा निर्णय की पुर्नविलोकन एवं निर्णय के विरूद्ध अपीलों की सुनवाई।

2– जिला मजिस्ट्रेट के रूप में जिलाधिकारी की भूमिका– ब्रिटिश कालीन से कार्य संचालन करता आ रहा है लेकिन वर्तमान में कानून व्यवस्था प्रशासन का महत्व प्रत्येक समाज में सदैव रहा है लेकिन जटिल व नई चुनौति उत्पन्न हो गई है जिनमें सांम्प्रदायिकता, आतंकवाद, नशीली दवाओं का व्यापार साइबर अपराध तथा अन्य संगठित अपराध जिलाधिकारी के लिए कानून व्यवस्था बनाये रखना अत्यन्त कठिन कार्य होता जा रहा है, जिला अधिकारी का सम्बन्ध पुलिस, न्यायपालिका तथा जेलों से होता है। कानून व्यवस्था के लिए जिलाधिकारी को इन तीनों तत्वों में समन्वय एवं अंतक्रिया करनी पडती है। पुलिस स्वर की धारा के अनुसार जिले का पुलिस प्रशासन जिलाधिकारी के अधीन होता है। यधपि सिविल व आपराधिक मामलों में सभी न्यायिक शक्तिया जिलाधिकारी से वापस ले ली गई है तथा जिला स्तर पर जिला न्यायाधीश व अन्य न्यायाधीशों को दे दी गई है। जिनकी कतिपय अधिकार है–

अ– अपराध दण्ड संहिता निरोधक नजरबन्दी प्रावधानों के अन्तर्गत उसे कतिपय आपराधिक मामलों में न्यायिक शक्तिया धारा–144 के अन्तर्गत जिले में शान्ति व्यवस्था के लिए न्यायिक शक्तियों का प्रयोग करता है।

ब– राजस्व मामले में जिलाधिकारी को अपने अधिनस्थ अधिकारियों के राजस्व सम्बन्धी निर्णयों के विरूद्ध अपील की सुनवाई का अधिकार प्राप्त है अपील कमिश्नर अथवा आयुक्त को की जा सकती है।

3– जिला समन्वयक के रूप में जिलाधिकारी की भूमिका– सरकार की विभिन्न नीतियों व कार्यक्रमों के प्रभावी क्रियान्वयन हेतु विभिन्न अभिकरणों व प्रशासनिक ईकाईयों में सामन्जस्य व सहयोग बनाने का प्रयास करता है।

4– आपदा प्रबन्धक के रूप में जिलाधिकारी की भूमिका– जिला प्रशासन की प्रभावशीलता तथा उसकी गुणवत्ता का परीक्षण आपदा के समय ही होता है। आपदा प्रबन्धन में जिलाधिकारी की केन्द्रीय स्थिति इस दृष्टि से है कि सरकार स्वयं आपदा प्रबन्ध के लिए व्यावहारिक दृष्टि से जिला प्रशासन पर निर्भर है। वर्तमान में संसद द्वारा 2005 में आपदा प्रबन्धन अधिनियम पारित किया गया। अध्याय–4 में जिला स्तर पर आपदा प्रबन्धन मशीनरी की व्यवस्था की गई है यह प्रशासन की महत्वपूर्ण भाग है जिसमें तैयारी तथा राहत कोष का संगठन प्राधिकरण के माध्यम से जिसमें जिला अधिकारी पदेन अध्यक्ष इसी योजना से अधिक जिम्मेदारी व समन्वय से सामाजिक प्रबन्धन में नेतृत्व की क्षमता का आंकलन होता है।

5– विकास प्रशासन में जिलाधिकारी की भूमिका– जिले के विकास प्रशासन में जिलाधिकारी संवेदनशिलता में मुख्य दो कारण भारत के कल्याणकारी राज्य की धारणा को अपनाया गया है जो 1952 से निरन्तर केन्द्र व राज्य सरकारें ग्रामीण विकास व शहरी विकास की कार्यक्रमों का क्रियान्वयन जिला स्तर पर कार्यो के संचालन, नियंत्रण व निर्देशों का कार्य दिया गया। परम्परागत कार्यो के साथ ही किया जाता है दूसरा स्थानीय संस्थाओं को गतिशील पंचायत राज संस्थाओं की भूमिका महत्वपूर्ण एवं उत्तरदायी जहॉ पंचायतों से समन्वय स्थापित का विकास योजनाओं को क्रियान्वयन करना पडता है।

6– जिलाधिकारी के अन्य कार्यः– वर्तमान समय में जिलाधिकारी के रूप में अन्य कार्य भी सम्पादित करता है उनमें

अ– जिले का राजा सरकार का प्रतिनिधि है जिसमें इकाई का प्रतिनिधित्व व उत्तरदायित्व, प्रवक्ता, अनुशासन व मनोबल में सरकार का आधिकाधिक प्रवक्ता व सभी कार्यो में राज्य सरकार का प्रतिनिधित्व करता है।

ब– संसदीय व राज्य विधान सभा के चुनाव में मुख्य रिटर्निंग अधिकारी जिसमें जिला स्तर पर चुनाव प्रक्रिया का संचालन व नियंत्रण चुनाव अधिकारी के रूप में निर्वाचन आयोग के निर्देश के अनुरूप कार्य व भूमिका का निष्पादन करना है।

स– जनगणना में प्रति 10 वर्ष जिला के कार्यो, गतिविधियों एवं समन्वय करता है।

द– नगर पालिकाओं का पर्यवेक्षण यदि किसी भी नगरपालिका के विरूद्ध कोई आख्या हो तो जिलाधिकारी द्वारा समपादित की जाती है।

य– प्रोटोकाल अधिकारी के रूप में अति महत्वपूर्ण व्यक्तियों के भ्रमण के समय प्रोटोकाल भी लागू करना।

र– कानून व्यवस्था की स्थापना में जिले में सैनिक अधिकारीयों के साथ सहयोग व समन्वय स्थापित करता है।

ल– प्रतिवर्ष राज्य सरकार को जिले की वार्षिक प्रशासनिक सूचना व रिपोर्ट प्रस्तुत करना जिले में नियुक्त अधिकारियों के परिवीक्षाकालीन प्रशिक्षण की व्यवस्था, विभिन्न क्षेत्रों का जिला में विकास व प्रशासन की जानकारी, शिकायतें, निस्तारण हेतु बैठक व सम्मेलन करके समाधान करना महत्वपूर्ण हो रहा है।

जिला प्रशासन के सम्बन्ध में द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग ने मई 2009 में अपने 15वें प्रतिवदेन में जो सुझाव दिये उक्त लोकप्रशासन में महत्वपूर्ण रहे है जिनमें उक्त कार्यो में समय नहीं दे पा रहे है यदि ई–गवर्नेन्स से सम्बन्धित भू–स्वामित्व प्रबन्धन की नई प्रणाली, सूचना अधिकार अधिनियम के तहत जिलाधिकारी का मुख्य कार्य वह

जिले के बाध्यकारी क्रियान्वयन की समुचित व्यवस्था को सूचना अधिकार इकाई का गठन, एवं जिलाधिकारी के पद पर आरम्भिक काल से नियुक्त किया जाता है लेकिन समस्याग्रस्त जिलों में 10–12 साल का अनुभव रखने वाले की नियुक्ति एवं सुनिश्चित किया जाना चाहिऐ जिसमें विभिन्न कार्यक्रमों और विभागों में प्रभावी समन्वयकर्ता की भूमिका हेतु आयोग ने जिलाधिकारी कार्यालय के आधुनिकरण पर बल दिया गया है। जिससे नियंत्रण, संतुलन, समन्वय एवं उत्तरोत्तर विकास में महत्वपूर्ण भूमिका का उत्तरदायित्व, निस्तारण किया जा सकें जो वर्तमान में महत्वपूर्ण भूमिका प्रासंगिकत है।

***प्राचार्य**
श्री वीर तेजाजी महाविधालय,
राडावास (जयपुर)

संदर्भ सूची

1. डॉ. पी.डी. शर्मा एवं हरिशचन्द शर्माः लोक प्रशासन सिद्धान्त व व्यवहार, कालेज बुक डिपो, जयपुर, 1995
2. सलकेतु विधालेकारः लोक प्रशासन सिद्धान्त व व्यवहार, रंजन प्रकाशन मृद, नई दिल्ली, 1985
3. जी.एस. पाण्डेय : भारतीय संविधान, प्रिंट हाउस, लखनऊ, 2000
4. अवस्थी एवं अवस्थी : लोक प्रशासन, लक्ष्मीनारायण अग्रवाल, आगरा, 1997
5. बी.सी. माथूर : मैनेजमेन्ट इन गर्वनमेन्ट, पब्लिकेशन डिविजन, गर्वनमेन्ट ऑफ इण्डिया, नई दिल्ली, 2000
6. अल्बर्ट लेपाव्हिस्की, ऐडमिनिस्ट्रेशन एण्ड मैनेजमैन्ट, आक्सफोर्ड एण्ड़ आई वी एच पब्लिशिंग कम्पनी, नई दिल्ली, 1960
7. प्रो. मोहित भट्टाचार्य, जवाहर पब्लिशर्स एण्ड डिस्ट्रीब्यूटर्स, 62/2 बैष्सराम, नई दिल्ली, 1995